

an>

Title: Regarding use of hazardous chemicals to enhance vegetable production.

डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूँ। आज ग्रामीण अंचलों में सब्जी के किसान तत्काल लाभ उठाने के चक्कर में जहरीली चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियों में खासकर लौकी जो इतनी छोटी है, रात को इंजेक्शन लगा दिया और तौकी दिन में बड़ी हो गई, बैंगन इतना छोटा, रात में इंजेक्शन लगा दिया, बैंगन इतना बड़ा हो गया। वे आविसटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं जो कि गायों और भैंसों को दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यह जहरीला होता है। आज इस तरह की चीजों के चलते गांवों और शहरों में तमाम लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। किडनी, लीवर, हाथ, पैर डैमेज हो रहे हैं। गांव में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि दवाओं का प्रयोग किस मात्रा में किस स्तर तक किया जाए। इस नाते इस तरह की जहरीली दवाओं पर कोई ऐसा प्रावधान कृषि अनुसंधान के क्षेत्र के लोग करें, जिससे इस पर रोक लगे। इस तरह की चीजों के निवारण का उपाय किया जाए। उपज बढ़ाने के चक्कर में किसान ऐसी जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं।

जो अशिक्षित किसान हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए कि वे किस तरह से दवाओं का प्रयोग करें और किस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग करें। इसे ब्लॉक स्तर पर करें, क्योंकि यह बहुत लोक महत्व का विषय है। इससे जनजीवन का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूँ कि दोपहर में नियम 193 के तहत भी इस पर डिटेल में बोला जा सकता है।

Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.